भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 31] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 2, 1997 (श्रावण 11, 1919)
No. 31] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 2, 1997 (SRAVANA 11, 1919)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय स्टेट बैंक

केन्द्रीय कार्यालय

मुम्बई, दिनांक 17 जुलाई 1997

सं. एस बी डी. क्र. 21/1997—भारतीय स्टेट बैंक (सहयोगी बैंक) अधिनियम 1959 की धारा 63 की उप धारा (1) के अंतर्गत दिए गए अधिकारों के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक ने स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर/हैदराबाद/इन्दौर/मैसूर/पटियाला/सौराष्ट्र/त्रावणकोर कर्मचारी भविष्य निधि विनियमन के विनियम 8क में निम्नलिखित प्रावधान को समाविष्ट करने हेतु अनुमोदित किया है, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक एवं सहयोगी बैंकों के निदेशक मंडलों द्वारा अनुमोदित है :—

स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर/हैदराबाद/इन्दौर/मैसूर/पटियाला/सौराष्ट्र/त्रावणकोर कर्मचारी भविष्य निधि विनियमन का विनियम 8क

विनियम 8 क (1)

"किसी अन्य प्रतिष्ठान/संस्थान की सेवा त्याग कर बैंक की सेवा ग्रहण करने वाले कर्मचारी जिसे बैंक द्वारा संचालित भविष्य निधि का सदस्य बनने के लिए अनुमत किया गया हो या इस निधि का सदस्य बनना चाहता हो के प्रकरण में उस कर्मचारी के पिछले नियोक्ता द्वारा संचालित भविष्य निधि में से यदि कोई राशि उसे देय होती हो एवं उक्त देय राशि को उसके पिछले नियोक्ता ने बैंक द्वारा संचालित भविष्य निधि खाते में सीधे अंतरित किया हो तो उस कर्मचारी के अनुरोध पर एवं उसके पिछले नियोक्ता द्वारा संचालित भविष्य निधि से सम्बन्धित नियम यदि ऐसा अनुमत करते हों तो बैंक में इस निधि के न्यासियों द्वारा उक्त राशि स्वीकार की जाएगी। इस प्रकार से प्राप्त की गई राशि को निधि में "कर्मचारी का अंशदान" (या उक्त उद्देश्यार्थ बनाए गए शीर्ष के अंतर्गत) कर्मचारी के नाम से खोले जाने वाले खाते में अंतरित कर दिया जाएगा। इन विनियमों के अनुसार अंतरित की गई उक्त राशि पर तत्पश्चात इस प्रकार से कार्रवाई की जाएगी जैसे कि कर्मचारी द्वारा इन विनियमों के अधीन ही इस राशि का अंशदान किया गया हो लेकिन शर्त यह होगी कि बैंक, पूर्वोल्लिखितानुसार जमा की गई राशि के अनुरूप किसी भी राशि का अंशदान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। उक्त कर्मचारी को इस राशि के सम्बन्ध में इन विनियमों

के अतिरिक्त किसी भी अन्य प्रकार से बैंक या न्यासियों के विरुद्ध कोई भी दावा करने का अधिकार नहीं होगा ।''

विनियम 8 क (2)

''विनियम 8 (क) (1) के अंतर्गत निधि में सम्मिलित किए गए कर्मचारी द्वारा पिछले प्रतिष्ठानों/संस्थान में की गई सेवाओं को केवल विनियम 14 के प्रयोजनार्थ न कि किसी अन्य प्रयोजनार्थ बैंक में की गई सेवा के रूप में माना जाएगा ।''

विनियम 8 क (3)

''बैंक के कर्मचारी द्वारा बैंक की सेवा छोड़कर किसी अन्य प्रतिष्ठान/संस्थान में नौकरी ग्रहण करने के प्रकरण में, उक्त कर्मचारी के लिखित अनुरोध पर एवं उसके नए नियोक्ता द्वारा संचालित भविष्य निधि से सम्बन्धित नियमों के अंतर्गत अनुमत होने पर बैंक द्वारा संचालित भविष्य निधि में से कर्मचारी की देय राशि को न्यासियों द्वारा उस कर्मचारी के नए नियोक्ता द्वारा संचालित भविष्य निधि में सीधे अंतरित कर दिया जाएगा लेकिन उक्त अंतरण विनियम 17 के प्रावधानों के अध्यधीन किया जाएगा ।''

केन्द्रीय निदेशकमंडल के आदेशानुसार
बी. एम. भिड़े
उप प्रबंध निदेशक
(सहयोगी एवं अनुषंगी)

दिल्ली नगर कला आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 21 जुलाई 1997

सं. 1 (1)/76-डीएएसी—दिल्ली नगर कला आयोग, अधिनियम, 1973 (1974 का-1) की धारा 9 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 27 के अनुच्छेद (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली नगर कला आयोग, केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति से कर्मचारी अंशदायी भविष्य-निधि विनियम, 1980 में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :

1. (1) ये विनियम दिल्ली नगर कला आयोग कर्मचारी अंशदायी निधि (संशोधन) विनियम 1997 कहे जाएंगे,

(2) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. दिल्ली नगर कला आयोग कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि विनियम, 1980 (जिन्हें इसके बाद मूल विनियम कहा जाएगा) के उप-विनियम (2), खण्ड (ख) में आए अंकों 8-1/3'' के स्थान पर अंक ''10'' प्रतिस्थापित किए जाएंगे :

3. मूल विनियमों के विनियम 11 में, उपनियम (1) में, आए अंकों 8-1/3'' अंक के स्थान पर अंक ''10'' प्रतिस्थापित किए जाएंगे :

4. मूल विनियमों के विनियम 13 में, उपनियम (1) में, अन्त में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा अर्थात :

''परन्तु शर्त यह है कि ऐसी ब्याज की दर, सामान्य भविष्य निधि में किए गए अंशदान पर ब्याज के भुगतान के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट दर से अधिक नहीं होगी ।''

5. मूल विनियमों के विनियम 15 के लिए, निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :

''15—पेशगी की मंजूरी : (1) आवेदन करने पर, बोर्ड, किसी भी सदस्य को अस्थाई पेशगी राशि मंजूर कर सकेगा, जो सदस्य के तीन महीने के वेतन से, या सदस्य के निजी अंशदान के अद्यधिशेष-जमा-उसपर बना ब्याज, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी, निम्नलिखित में से किसी एक या एक से अधिक प्रयोजन के लिए, अर्थात् :

(1) सदस्य या उसके पारिवारिक सदस्य या उस पर वस्तुतः आश्रित किसी व्यक्ति की बीमारी, प्रसवावस्था या अपंगता से संबंधित व्यय (यथा आवश्यक यात्रा व्यय सहित) की अदायगी हेतु;

(2) सदस्य या उसके पारिवारिक सदस्य या उस पर वस्तुतः आश्रित किसी व्यक्ति के लिए, हाईस्कूल स्तर के बाद भारत के बाहर शैक्षिक, वृत्तिक या व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की उच्च शिक्षा तथा भारत में ही हाईस्कूल स्तर के बाद के मेडिकल, इंजीनियरी या अन्य तकनीकी और विशेषज्ञता पाठ्यक्रमों की उच्च शिक्षा के व्यय (यथा आवश्यक यात्रा व्यय सहित) की पूर्ति हेतु, बशर्ते कि शिक्षा पाठ्यक्रम की अवधि तीन वर्ष से कम न हो;

(3) सदस्य द्वारा अपनी वैसियत के अनुसार, सगाई या विवाह, अंतिम संस्कार या ऐसे समारोहों, जो सदस्य के रीति रिवाजों के अनुसार अनिवार्य हों, के आवश्यक व्यय हेतु;

(4) सदस्य या उसके परिवार के किसी सदस्य अथवा उस पर वस्तुतः आश्रित किसी व्यक्ति द्वारा या उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाहियों के खर्च की पूर्ति हेतु; ऐसे प्रकरण में पेशगी राशि, इसी प्रयोजन हेतु अन्यथा ग्राह्य पेशगी राशि के अतिरिक्त होगी,

(5) किसी सदस्य को, अपने ऊपर लगाए गए किसी कथित शासकीय अपचार के प्रसंग में अपने बचाव के लिए तैनात वकील व कानूनी कार्यवाही के व्यय हेतु;

(6) टेलीविजन सेट, वीडियो कैसेट, रिकार्डर, वीडियो कैसेट प्लेयर, वाशिंग मशीन, कूलिंग रेन्ज, गीजर कम्प्यूटर तथा इसी प्रकार के अन्य टिकाऊ सामान की खरीद हेतु;

(2) किसी भी सदस्य को दूसरी पेशगी राशि तब तक मंजूर नहीं की जाएगी, जब तक कि उसने पहली पेशगी राशि का ब्याज सहित पूरा भुगतान न कर दिया हो ।

(3) बोर्ड यदि चाहे तो, विशेष परिस्थितियों में, इस बात से संतुष्ट होने पर कि संबंधित सदस्य को उप विनियम (1) में उल्लिखित कारणों से भिन्न किसी कारण के लिए पेशगी राशि वस्तुतः अपेक्षित है, पेशगी मंजूर कर सकता है

(4) बोर्ड यदि चाहे तो, विशेष कारण से, उसे लिपिबद्ध करते हुए, इस शर्त के साथ, किसी सदस्य को, उप विनियम (1) में विहित सीमा से अधिक अथवा किसी पूर्व पेशगी राशि की अंतिम किस्त की अदायगी से पहले भी, पेशगी मंजूर कर सकता है, किन्तु किसी पूर्व पेशगी की बकाया राशि अब मंजूर पेशगी राशि में जोड़ दी जाएगी तथा वसूली की किस्तों का निर्धारण समूची राशि के अनुसार किया जाएगा ।

किन्तु शर्त यह होगी कि पेशगी की राशि, मंजूरी की तारीख को भविष्य निधि में सदस्य के नाम जमा धन + उस पर ब्याज की कुल राशि से किसी भी हालत में अधिक नहीं होगी ।"

6. मूल विनियमों के विनियम 17 तथा 18 के लिए निम्न विनियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे; अर्थात् :

"17 निधि से धन निकासी : भविष्य निधि में से सदस्यों द्वारा धन की निकासी की बोर्ड द्वारा कभी भी मंजूरी दी जा सकती है :—

(क) सदस्य के सेवा काल के दौरान, भविष्य निधि में (उसके अंशदान तथा उस पर ब्याज की जमा राशि में से, निम्नलिखित में से किसी एक या एक से अधिक प्रयोजन के लिए, अर्थात् :

(1) अपने निवास हेतु उपयुक्त मकान बनाने या खरीदने अथवा तैयार फ्लैट खरीदने हेतु, जिसमें भूमि की लागत अथवा दिल्ली विकास प्राधिकरण, राज्य आवास बोर्ड, किसी सहकारी गृह निर्माण समिति तथा सहकारी समूह आवास समिति को फ्लाट/फ्लैट आवंटन हेतु किया गया कोई भुगतान भी शामिल होगा;

(2) अपने निवास हेतु उपयुक्त मकान बनाने या प्राप्त करने अथवा तैयार फ्लैट की खरीद हेतु दिल्ली नगर कला आयोग से लिए गए कर्ज की बकाया राशि की अदायगी हेतु;

(3) सदस्य के पहले से मौजूद या खरीदे गए फ्लैट के पुनर्निर्माण, विस्तार या बदलाव हेतु;

(4) कार्य-स्थान से भिन्न जगह पर पैतृक मकान या अन्य किसी जगह पर दिल्ली नगर कला आयोग के कर्ज से निर्मित मकान के नवीकरण, विस्तार या रख-रखाव हेतु;

(5) दिल्ली विकास प्राधिकरण, राज्य आवास बोर्ड अथवा आवास निर्माण सहकारी समितियों द्वारा आवंटित या नामांतरित सम्पत्तियों को लीज होल्ड से फ्री होल्ड में बदलने के लिए परिवर्तन प्रभारों की अदायगी हेतु;

(ख) 15 वर्ष की सेवा पूरी कर लेने पर, भविष्य निधि में अपनी जमा राशि में से सदस्य निम्नलिखित में से किसी एक या एक से अधिक प्रयोजन के लिए धन निकाल सकता है; अर्थात् :

(1) मोटर साइकिल, मोटर कार, स्कूटर अथवा मोपेड की कीमत हेतु,

(2) मोटर कार, मोटर साइकिल, स्कूटर अथवा मोपेड की खरीद हेतु :

(3) मोटर कार, मोटर साइकिल, स्कूटर अथवा मोपेड खरीदने के लिए दिल्ली नगर कला आयोग से ऋण की वापसी हेतु,

(ग) पन्द्रह (15) वर्ष की सेवा (खंडित सेवा की अवधि, यदि कोई है, सहित) के बाद, अथवा वार्धक्य सेवा निवृत्ति से दस (10) वर्ष के अन्दर, जो भी पहले हो, निधि में जमा अंशदान राशि एवं ब्याज राशि में से सदस्य निम्नलिखित एक या एक से अधिक प्रयोजन के लिए धन निकाल सकेगा, अर्थात् :

(1) सदस्य के लिए स्वयं या उसके किसी बच्चे के लिए हाईस्कूल स्तर के बाद भारत से बाहर किसी शैक्षिक तकनीकी, वृत्तिक या व्यावसायिक पाठ्यक्रम हेतु, तथा हाईस्कूल स्तर के बाद भारत में ही किसी चिकित्सा, इंजीनियरी या अन्य तकनीकी अथवा विशेषज्ञता पाठ्यक्रम की उच्च शिक्षा के लागत खर्च यथा आवश्यक यात्रा व्यय सहित हेतु;

(2) सदस्य या उसके पुत्र/पुत्री या सदस्य पर वस्तुतः आश्रित रिश्ते में किसी अन्य महिला सदस्य की सगाई या विवाह से सम्बन्धित खर्च हेतु;

(3) सदस्य, उसके परिवार के किसी भी सदस्य अथवा उस पर आश्रित किसी व्यक्ति की बीमारी के इलाज हेतु;

(4) टेलीविजन सैट, वीडियो कैसेट रिकार्डर, वीडियो कैसेट प्लेयर, वाशिंग मशीन, कुकिंग रेन्ज, कम्प्यूटर तथा इसी प्रकार के अन्य टिकाऊ सामान की खरीद हेतु;

(घ) अट्ठाईस (28) वर्ष पूरे कर लेने पर अथवा वार्धक्य सेवानिवृत्ति की तारीख से पूर्व तीन वर्ष के अन्दर, जो भी पहले हो, सदस्य, निधि में अपने अंशदान जमा ब्याज में से मोटर कार की व्यापक मरम्मत या ओवरहालिंग हेतु धन निकाल सकेगा ।

(ङ) कोई भी सदस्य वार्धक्य सेवानिवृत्ति की तारीख से पूर्व, बारह (12) महीनों के अंदर अपनी निधि में अंशदान की राशि जमा उस पर ब्याज की राशि में से बिना प्रयोजन बताए धन निकाल सकेगा ।

(च) कोई सदस्य वार्धक्य सेवानिवृत्ति की तारीख से पूर्व, 6 माह की औसत भविष्य निधि में जमा राशि में से कृषि भूमि या व्यावसायिक भूखण्ड या दोनों की खरीद से बिना प्रयोजन बताए धन निकाल सकेगा ।

18. विभिन्न प्रयोजनों के लिए धन निकासी की शर्तें इस प्रकार हैं :—

(1) क. किसी सदस्य द्वारा अपनी निधि में जमा राशि में से, विनियम 17 में विनिर्दिष्ट एक या एक से अधिक प्रयोजनों के लिए निकाली जाने वाली राशि सामान्यतः सदस्य के निजी अंशदान जमा उस पर बना ब्याज का ½ (डेढ़गुना) अथवा छः माह के वेतन से, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी । किन्तु

बोर्ड, यदि चाहे तो, निकासी प्रयोजन अंशदाता के पद तथा निधि खाते में उसके द्वारा किए जा रहे अंशदान जमा उस पर ब्याज को ध्यान में रख कर, इस सीमा से अधिक निकासी की मंजूरी दे सकता है; जो सदस्य के खाते में मौजूद अंशदान जमा उस पर ब्याज राशि के, विनियम 17 के खण्ड (ग) के तहत निकासी के प्रसंग में तीन चौथायी तक तथा खण्ड (क), (ख) व (च) के तहत निकासी के प्रसंग में 90 प्रतिशत तक हो सकती है।

किन्तु शर्त यह है कि विनियम 17 के खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों हेतु, धन निकासी के प्रसंग में अधिकतम निकासी राशि, किसी भी दशा में, केन्द्र सरकार द्वारा मकान निर्माण पेशगी के लिए समय-समय पर निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होगी और ऐसे मामले में जहां किसी सदस्य ने दिल्ली नगर कला आयोग अथवा किसी अन्य सरकारी स्रोत से कोई मकान पेशगी राशि ली है तो इन विनियमों के तहत निकाली गयी राशि तथा उपर्युक्त प्रकार से ली गयी पेशगी राशि मिलाकर यथा-निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होगी।

यह भी शर्त है कि विनियम 17 के खण्ड (क) के उप खण्ड (5) के तहत, निधि से धन निकासी की सदस्य की पूरी सेवा के दौरान केवल एक बार अनुमति होगी।

टिप्पणी-1 :—यदि किसी सदस्य को, दिल्ली विकास प्राधिकरण, राज्य आवास बोर्ड, पंजीकृत मकान निर्माण सहकारी समिति या सहकारी समूह आवास समिति से खरीदे गए मकान या फ्लैट या उनके माध्यम से निर्मित मकान या फ्लैट की किश्त अदा करनी है तो उसे किसी किश्त की अदायगी मांगे जाने के समय उतनी राशि धन निकासी की अनुमति होगी तथा इस प्रकार की प्रत्येक अदायगी भिन्न प्रयोजन के लिए की गयी मानी जाएगी।

टिप्पणी-2 :—वह सदस्य, जिसे विनियम 17 के खण्ड (क) के उप खण्ड (1) या उपखण्ड (2) के तहत धन निकासी की अनुमति प्रदान की गयी हो, इस प्रकार के निकासी धन से निर्मित या अधिप्राप्त मकान को आयोग की अनुमति लिए बिना, विक्रय करके, गिरवी रखकर (दिल्ली नगर कला आयोग को गिरवी से भिन्न) दान देकर, अदला बदली करके या अन्य तरीके से निपटान करके उसका कब्जा नहीं छोड़ेगा, किन्तु ऐसी अनुमति ऐसे किसी मकान के प्रसंग में आवश्यक नहीं होगी, जो किसी ऐसी अवधि के लिए, जो तीन वर्ष से अधिक न हो, पट्टे पर दिया जाता है, अथवा जो किसी ऐसे आवास बोर्ड, राष्ट्रीयकृत बैंक, जीवन बीमा निगम अथवा केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले किसी ऐसे निगम को गिरवी रखा जा रहा है, जो नया मकान बनाने या मौजूदा मकान में विस्तार या बदलाव के लिए कर्ज देते हैं। ऐसे मकान की स्थिति में परिवर्तन के बारे में सदस्य, प्रत्येक वर्ष दिसम्बर माह के 31वें दिवस तक बोर्ड को अवगत कराएगा और यदि सदस्य आयोग की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना उस मकान का स्वामित्व त्यागता है तो उसे निधि में से निकाली गयी समूची राशि एकमुश्त रूप में निधि में तत्काल वापस जमा करनी होगी और ऐसा न करने पर, बोर्ड, सदस्य को इस विषय में अभ्यावेदन हेतु उचित अवसर देकर, सदस्य के परिलब्ध वेतन में उक्त ऋण राशि की एकमुश्त रूप से अथवा यथानिर्धारित मासिक किश्तों में वसूली करा सकेगा।

टिप्पणी-3 :—विनियम 17 के खण्ड (क) के उप खण्ड (1) या (4) के तहत भी निकासी की उस स्थिति में अनुमति होगी, जहां मकान, प्लाट या फ्लैट पत्नी अथवा पति के नाम पर हो; किन्तु शर्त यह होगी कि भविष्य निधि हेतु किए गए नामांकन में वह (पत्नी या पति) भविष्य निधि राशि पाने वाला प्रथम नामिती हो।

टिप्पणी-4 :—यदि किसी सदस्य के पास कार्यस्थान से भिन्न जगह पर पैतृक मकान है अथवा उसने सरकार या दिल्ली नगर कला आयोग की ऋण सहायता से अन्यत्र मकान बनाया है तो वह सदस्य अपने कार्यस्थान पर एक और मकान बनाने या पूर्व-निर्मित फ्लैट की खरीद के लिए भविष्य निधि से अंतिम यानी अप्रतिदेय (फाइनल) निकासी का हकदार होगा।

टिप्पणी-5 :—भविष्य निधि से धन निकासी, बनाए जाने वाले मकान या मौजूदा मकान में किए जाने वाले विस्तार या बदलाव का नक्शा, संबंधित स्थानीय म्यूनिसिपल निकाय से विधिवत अनुमोदित कराके प्रस्तुत किए जाने के बाद ही, मंजूर की जाएगी और ऐसा केवल उन मामलों के प्रसंग में होगा, जहां नक्शे का अनुमोदन करना वस्तुतः आवश्यक हो।

टिप्पणी-6 :—बकाया ऋण की अदायगी के लिए भविष्य निधि से धन की निकासी उसके खाते में दर्ज राशि जमा (+) पूर्व निकासी राशि के तीन-चौथाई से अधिक नहीं होगी और उसमें से पूर्व निकासी की राशि घटा दी जाएगी।

टिप्पणी-7 :—यदि किसी सदस्य ने किसी स्थान पर मकान निर्माण के लिए अप्रतिदेय निकासी की मंजूरी पहले ही प्राप्त कर ली है, तो उसे उसी या किसी अन्य स्थान पर इसी प्रयोजन (यानी मकान निर्माण हेतु) हेतु दोबारा निकासी मंजूर नहीं की जाएगी ।

टिप्पणी-8 :—यदि किसी मकान के रखरखाव के लिए भविष्य निधि से धन मांगा जाता है तो वह भी मंजूर किया जाएगा, जब सदस्य इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर देगा कि किए जाने वाले कार्य के लिए स्थानीय/म्यूनिसिपल निकाय का अनुमोदन आवश्यक नहीं है । ऐसे पैतृक मकान के लिए भविष्य निधि से धन निकासी की अनुमति होगी, जहां तक पैतृक मकान सदस्य के नाम अंतरित न हुआ हो, किन्तु इस प्रसंग में सदस्य को इस आशय का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा कि वह भी उस पैतृक सम्पत्ति का एक उत्तराधिकारी है या हिस्सा पाने वाले नामितियों में से एक है ।

(ङ) विनियम 17 के खण्ड (ङ) में उल्लिखित प्रयोजनों के प्रसंग में निकासी हेतु;

(1) मोटर कार के लिए पंजीयन अथवा उसकी खरीद के लिए, सदस्य का मासिक मूल वेतन रुपए 3500/- अथवा अधिक, तथा मोटर साइकिल, स्कूटर अथवा मोपेड के पंजीयन या उसकी खरीद के लिए मासिक मूल वेतन रुपए 1500/- अथवा अधिक होना चाहिए;

(2) भविष्य निधि से निकासी की रकम मोटर कार की बुकिंग के लिए रुपए 10,000/- तथा मोटर साइकिल या स्कूटर के लिए रुपए 500/- तक अथवा भविष्य निधि में सदस्य की राशि के 50 प्रतिशत तक या सदस्य के अंशदान जमा (+) उस पर अर्नी ब्याज की निधि में अंकित राशि के 50 प्रतिशत तक अथवा कार या मोटर साईकिल या स्कूटर की वास्तविक पंजीयन राशि, जो भी कम हो तक सीमित होगी;

(3) आगे भविष्य निधि से निकासी मोटर कार की खरीद हेतु रुपए 50,000/- तक तथा मोटर साइकिल या स्कूटर की खरीद के लिए रुपए 8,000/- तक सीमित होगी;

(4) वाहन की बुकिंग हेतु जमा रसीद तथा वाहन की खरीद-रसीद सत्यापन हेतु निकासी की तारीख से एक माह के अन्दर, प्रस्तुत करनी होगी, ऐसा न करने पर निकासी की समूची राशि वापस लौटानी होगी;

(5) यदि कोई सदस्य कार, स्कूटर या मोटर साइकिल के लिए धन जमा करवाने के बाद उसको खरीद नहीं करता है अथवा स्कीम से नाम वापस ले लेता है, तो उसे अंतिम निकासी की राशि तथा उस पर निर्माता या व्यापारी से प्राप्त ब्याज राशि तत्काल निधि में वापस जमा करनी होगी;

(6) बोर्ड यदि चाहे, तो उन सदस्यों के मामले में मोटर कार या मोटर साइकिल या स्कूटर के पंजीयन या खरीद के लिए ली गयी पेशगी राशि की वापसी 36 किस्तों में करने की अनुमति दे सकता है, जिनकी 15 वर्ष की न्यूनतम सेवा की अवधि में 6 महीने तक की कमी हो । इस प्रकार प्रदत्त पेशगी की बकाया राशि को 15 वर्ष की सेवा के पश्चात् अप्रतिदेय (अंतिम) निकासी में परिवर्तन की अनुमति होगी;

(7) किसी सदस्य को इस प्रकार की निकासी की केवल एक बार ही अनुमति होगी ।

(ग) विनियम 17 के खण्ड (ग) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए स्वीकृत निकासी के प्रसंग में, सदस्यों को सगाई समारोह तथा विवाह समारोह दोनों ही अवसरों पर अंतिम निकासी की अनुमति होगी तथा प्रत्येक अवसर को भिन्न प्रयोजन माना जाएगा ।

(घ) विनियम 17 के खण्ड (घ) में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए निकासी निम्नलिखित शर्तों पर होगी, अर्थात् :

(1) सदस्य का मासिक मूल वेतन रुपए 3500/- या अधिक हो;

(2) निकासी की राशि रुपए 5,000/- तक अथवा सदस्य के अंशदान जमा उस पर ब्याज राशि के एक तिहाई तक, अथवा वाहन की मरम्मत या ओवरहालिंग की वास्तविक राशि, जो भी कम हो, तक सीमित होगी;

(3) सदस्य द्वारा कार खरीद के 5 वर्ष अवश्य पूरे कर लिए गए हों । पुरानी कार की खरीद के प्रसंग में, प्रथम बेता द्वारा प्रारम्भिक खरीद की तारीख को हिसाब में लिया जाएगा;

(4) इस प्रकार की निकासी की किसी सदस्य के सम्पूर्ण सेवाकाल में केवल एक बार अनुमति होगी ।

(ङ) विनियम 17 के खण्ड (ङ) में उल्लिखित प्रयोजनों के प्रसंग में, धन निकासी का लाभ उठाने वाले उस निकासी राशि को सेवानिवृत्त हो रहे सरकारी कर्मचारियों के लिए तर्क जमा योजना, 1989 में लगाने के पात्र नहीं होंगे, जो वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग द्वारा दिनांक 7-6-1989 की अधिसूचना सं. 2/14/89 एन. एस. 2 घोषित की गयी है ।

(2) ऐसे प्रत्येक सदस्य को, जिसे विनियम 17 के तहत भविष्य निधि से धन निकालने की अनुमति दी गयी हो, यथा-विनिर्दिष्ट अवधि के अन्दर बोर्ड को इस बात से संतुष्ट करना होगा कि धन का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया गया है, जिसके लिए निकाला गया था, और यदि वह ऐसा करने में असफल रहता है तो, उसे वह समूची निकासी राशि अथवा निकासी प्रयोजन में लगाने से बची हुई राशि एकमुश्त रूप में तत्काल भविष्य निधि में वापस जमा करानी होगी, और अगर वह ऐसा नहीं करता है तो वह राशि बोर्ड के आदेश से उसके परिलब्ध वेतन में से एकमुश्त रूप में या बोर्ड द्वारा यथा नियत मासिक किस्तों में वसूल कर ली जाएगी ।

किन्तु शर्त यह है कि निकासी राशि को इस विनियम के तहत पनर्अदायगी प्रभावी होने से पूर्व सदस्य को लिखित रूप में वह स्पष्टीकरण देने का अवसर दिया जाएगा कि वह इस आशय की सूचना मिलने से 15 दिन के अन्दर यह बताए कि उसके खिलाफ वसूली की कार्रवाई क्यों नहीं की जाए ? तथा यदि बोर्ड उसके स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं होता है अथवा सदस्य द्वारा 15 दिन की नियत अवधि में स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता है तो बोर्ड इस विनियम में निर्धारित ढंग से निकासी धन की वसूली की कार्रवाई लागू कर सकता है ।

(3) इस विनियम के तहत भविष्य निधि से धन की निकासी उस स्थिति में मंजूर नहीं की जाएगी, जब समान प्रयोजन के लिए समान समय में, विनियम 15 के तहत पेशगी मंजूर की जा रही होगी ।

(4) पूर्व प्राप्त पेशगी राशि के प्रसंग में सदस्य यदि चाहे तो, लिखित अनुरोध करके पेशगी की बकाया राशि को, इस विनियम में निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर, अंतिम (अप्रतिदेय) निकासी में परिवर्तित करा सकता है ।''

7. मूल विनियमों के विनियम 21-क में खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के लिए निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

''(क) सदस्य के खाते में जमा राशि (अंशदान+उस पर ब्याज) उसकी मृत्यु-मास से पूर्व तीन वर्ष के दौरान कभी भी निम्नलिखित सीमाओं से कम नहीं होनी चाहिए :—

(1) रुपए 12,000/- : ऐसे सदस्य के प्रसंग में जो उपर्युक्त तीन वर्ष की अवधि के अधिकतर भाग में ऐसे पद पर रहा हो, जिसका अधिकतम वेतनमान रुपए 4000/- या अधिक हो;

(2) रुपए 7,500/- : ऐसे सदस्य के प्रसंग में, जो उपर्युक्त तीन वर्ष की अवधि के अधिकतर भाग में ऐसे पद पर रहा हो, जिसका अधिकतम वेतनमान रुपए 2900/- या अधिक, किन्तु रुपए 4000/- से कम हो;

(3) रुपए 4500/- : ऐसे सदस्य के प्रसंग में, जो उपर्युक्त तीन वर्ष की अवधि के अधिकतर भाग में ऐसे पद पर रहा हो, जिसका अधिकतम वेतनमान रुपए 1151/- या अधिक, किन्तु रुपए 2900/- से कम हो;

(5) रुपए 3000/- : ऐसे सदस्य के प्रसंग में, जो उपर्युक्त तीन वर्ष की अवधि के अधिकतर भाग में, ऐसे पद पर रहा हो, जिसका अधिकतम वेतनमान रुपए 1151 से कम हो ।

(ख) इस नियम के अंतर्गत देय अतिरिक्त राशि रुपए 30,000/- से अधिक नहीं होगी ।

(ग) सदस्य ने, अपनी मृत्यु के समय तक, कम से कम पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो ।''

एम. टी. मेश्राम
सचिव

टिप्पणी : मूल विनियम, भारत के राजपत्र भाग 3, खण्ड 4 में अधिसूचना सं. शून्य दिनांक 1-3-1980 में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् संशोधन निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा किए गए थे :—

1. अधिसूचना सं. 1 (1)/76-बी. यू. ए. सी. दिनांक 22-4-1981 ।

2. अधिसूचना सं. 1 (1)/76-बी. यू. ए. सी. दिनांक 15-7-1986 ।

STATE BANK OF INDIA

CENTRAL OFFICE

Mumbai, the 17th July 1997

SBD. No. 21/1997.—In exercise of the powers conferred under Sub Section (1) Section 63 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, and as approved by the Reserve Bank of India and the Board of Directors of the Associate Banks the State Bank of India has approved the undernoted provision to be incorporated as Regulation 8A of State Bank of Bikaner & Jaipur/Hyderabad/Indore/Mysore/Patiala/Saurashtra/Travancore Employees' Provident Fund Regulations :—

Regulation 8A of Employees' Provident Fund Regulations of State Bank of Bikaner & Jaipur/Hyderabad/Indore/Mysore/Patiala/Saurashtra/Travancore.

Regulation 8A(1)

"In the case of an employee leaving his service in any other establishment/institution and joining the service of the Bank and who is permitted or required to become a member of the provident fund maintained by the Bank, the trustees shall, at the request of the employee and if the rules in relation to provident fund maintained by his former employer so permit, receive any amount due to him from the providant fund account maintained by his former employer and transferred by the said employer directly to the provident fund maintained by the Bank. The amounts so received shall be credited to the account of the said employee to be opened in the Fund under the column "employees' contributions" (or under the column to that effect). The amounts so credited shall thereafter be dealt with, in accordance with these regulations, as if the same represented contributions made by the said employee under these regulations, provided that the Bank shall not be liable to make any contributions corresponding to the amounts so credited as aforesaid. The said employee shall have no claim against the Bank or the trustees in respect of the said amounts save and except in accordance with these regulations."

Regulation 8A(2)

"The services rendered by the member admitted to the Fund under Regulation 8A(1) in the earlier establishment/institution shall, for the purpose of Regulation 14 and for no other purpose, be deemed as service in the Bank."

Regulation 8A(3)

"In the case where an employee of the Bank leaves the service of the Bank and joins the service of any other establishment/institution, the trustees shall, at the request of the employee made in writing and if the rules in relation to the provident fund maintained by his new employer so permit, transfer the amount due to the employee from the fund maintained by the Bank directly to the Provident Fund maintained by his new employer, but such transfer shall be subject to the provisions of Regulation 17."

By the Orders of the Central Board

B. M. BHIDE
Dy. Managing Director
(Associates & Subsidiaries)

DELHI URBAN ART COMMISSION

New Delhi, the 21st July 1997

No. 1(1)/76-DUAC.—In exercise of the powers conferred by clause (c) of section 27 read with sub-section (3) of Section 9 of the Delhi Urban Art Commission Act, 1973 (1 of 1974) the Delhi Urban Art Commission with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Delhi Urban Art Commission Employees Contributory Provident Fund Regulations, 1980 namely :—

1. (1) These regulations may be called the Delhi Urban Art Commission Employees Contributory Provident Fund (Amendment) Regulations, 1997.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In regulation 10 of the Delhi Urban Art Commission Employees Contributory Provident Fund Regulations, 1980 (hereinafter referred to as the principal regulations), in sub-regulation (2), in clause (b), for the figures "8-1/3", the figures "10" shall be substituted.

3. In regulation 11 of the principal regulations, in sub-regulation (1), for the figures "8-1/3", the figures "10" shall be substituted.

4. In regulation 13 of the principal regulations, in sub-regulation (1), the following provision shall be added at the end, namely :—

"Provided that such rate of interest shall not exceed the rate specified by the Central Government, from time to time, for payment of interest on subscriptions to the General Provident Fund".

5. For regulation 15 of the principal regulations, the following regulations shall be substituted, namely :—

"15-Grant of advance : (1) The Board may grant to a member on application a temporary advance, not exceeding three months pay or half of the amount of member's own contribution and interest thereon, whichever is less, for one or more of the following purposes namely :—

(i) to pay expenses in connection with illness, confinement or a disability, including where necessary the travelling expenses of, the member, members of his family or any person actually dependent on him;

(ii) to meet the cost of higher education, including where necessary the travelling expenses of, the member, members of his family or any person actually dependent on him, for education outside India for academic, technical, professional or vocational course beyond the High School stage, and for any medical, engineering or other technical or specialised course in India beyond the High School stage, provided that the course of study is for not less than three years;

(iii) to pay obligatory expenses on a scale appropriate to the member's status which by customary usage the member has to incur in connection with betrothal or marriages, funerals or other ceremonies;

(iv) to meet the cost of legal proceedings instituted by or against the member any member of his family or any person actually dependent upon him, the advance in this case being available in addition to any advance admissible for the same purpose;

(v) to meet the cost of the member's defence where he engages a legal practitioner to defend himself in an enquiry in respect of any alleged official misconduct on his part;

(vi) to purchase television set, Video Cassette Recorder, Video Cassette Player, Washing Machine, Cooking

range, Geyser, Computer and such other consumer durables.

(2) No second advance shall be granted to any member until after the final repayment of earlier advance together with interest thereon.

(3) The Board may ,in special circumstances, sanction an advance to a member, if the Board is satisfied that the member concerned requires the advance for reasons other than those mentioned in sub-regulation (1).

(4) The Board may for special reason to be recorded in writing, sanction an advance in excess of the limit laid down in sub-regulation (1) or before repayment of last instalment of any previous advance is completed subject to the condition that the balance of any previous advance not recovered shall be added to the advance so sanctioned and the instalments for recovery shall be fixed with reference to the consolidated amount :

Provided that the advance shall in no case exceed the amount of subscriptions and interest thereon standing to the credit of the member in the Fund on the date of sanction.

6. For regulations 17 and 18 of the principal regulations, the following regulations shall be substituted, namely :—

"17-Withdrawls from the Fund :—Withdrawls from the Fund by a member may be sanctioned by the Board at any time :—

(a) during the service of a member, from the amount of subscription and interest thereon standing to his credit in the Fund, for one or more of the following purposes, namely :—

(i) building or acquiring a suitable house or ready built flat for his residence including the cost of the site or any payment towards allotment of a plot or flat by the Delhi Development Authority, a State Housing Board, a House Building Co operative Society or a Cooperative Group Housing Society;

(ii) repaying an outstanding amount on account of loan expressly taken from the Delhi Urban Art Commission for building or acquiring a suitable house or ready built flat for his esidence;

(iii) reconstructing or making additions or alterations to a house or a flat already owned or acquired by a member;

(iv) renovating, adding, altering or upkeeping of an ancestral house at a place other than the place of duty or to a house built with the assistance of loan from the Delhi Urban Art Commission, at a place other than the place of duty;

(v) payment of conversion charges for converting lease-hold to free-hold in respect of property allotted or transferred by the Delhi Development Authoritly, a State Housing Board or a House Building Co-operative Society;

(b) After completion of 15 years of service, from the amount of subscription and interest thereon standing to his credit in the Fund for one or more of the following purposes, namely :—

(i) for booking a motor cycle, motor car, scooter or moped;

(ii) for purchasing a motor car, motor cycle, scooter or moped;

iii) for repaying loan already taken from the Delhi Urban Art Commission for the purchase of motor car, Motor cycle, scooter or moped;

(c) after the completion of 15 years of service (including broken periods of service, if any) or within ten years before the date of his retirement on superannuation, whichever is earlier, from the amount of subscriptions and interest thereon standing to his credit in the Fund, for one or more of the following purposes, namely :—

(i) meeting the cost of higher education, including where necessary the travelling expenses of the member or any child of the member for education outside India for academic, technical, professional or vocational course beyond the High School stage; and any medical, engineering or other technical or specialised course in India beyond the High School stage;

(ii) meeting the expenditure in connection with betrothal or marriage of the member, his sons or daughters, and any other female relation actually dependent on him;

(iii) meeting the expenses in connection with the illness including where necessary, the travelling expenses of the member, members of his family or any person actually dependent on him;

(iv) meeting the cost of a television set, video cassette Recorder, Video Cassette Player, Washing Machine, Cooking Range, Computer and such other consumer durables.

(d) after completion of twenty-eight years of service or within three years before the date of retirement on superannuation, whichever is earlier, from the amount of subscription and interest thereon standing in the credit of the member in the fund for extensive repairs or overhauling of motor car of the member;

(e) Within twelve months before the date of retirement on superannuation from the balance of subscription plus interest thereon at the credit of the member in the fund without linking to any purpose;

(f) Within 6 months before the date of member's retirement on superannuation, from the amount standing to his credit in the Fund for the purpose of acquiring a farm land or business premises or both.

18—Conditions for withdrawls for various purposes :—

(1) (a) Any sum withdrawn by a member from the amount standing to his credit in the Fund at any one time for one or more of the purposes specified in regulation 17 from the amount standing to the credit of the member shall not ordinarily exceed one half of the amount of subscription and interest thereon standing to the credit of the member or six months pay, whichever is less. The Board may however, sanction the withdrawl of an amount in excess of this limit upto three-fourth of the amount of subscription and interest thereon standing to the credit of the member, in the case of withdrawls under clause (c) and upto 90% of such accumulation in the case of withdrawls under clauses (a), (e) and (f) of Regulation 17, having due regard to the object for which the withdrawl is being made, the status of

the subscriber and the amount of subscription and interest thereon standing to the credit of the member in the fund;

Provided that in case of withdrawal for the purpose, specified in clause (a) of regulation 17, the maximum amount of withdrawal shall, in no case, exceed the maximum limit prescribed from time to time by the Central Government for the grant of advances for house building purposes and where the member has availed of any house building advance from the Delhi Urban Art Commission or from any other Government source, the sum withdrawn under these regulations together with the amount of advance so taken also shall not exceed the maximum limit so prescribed;

Provided further that withdrawal under sub-clause (v) of clause (a) of regulation 17 shall be allowed only once during the entire service of a member.

Note 1—In cases where a member has to pay in instalments for a house or a flat purchased, or a house or a flat constructed through the Delhi Development Authority, State Housing Board, registered House building Co-operative Society or Co-operative Group Housing Society, he shall be permitted to make a withdrawal as and when he is called upto to make a payment in any instalment and every such payment shall be treated as a payment for a separate purpose.

Note 2—A member who is permitted o withdraw money from the fund under sub-clause (i) or sub-clause (ii) of clause (a) of regulation 17, shall not part with the possession of the house built or acquired with the money so withdrawn whether by way of sale, mortgage (other than mortgage to the Delhi Urban Art Commission) gift, exchange or otherwise, without the previous permission of the Commission. Such permission shall not be necessary for a house being leased for any term not exceeding 3 years or being mortgaged in favour of a housing board, nationalised bank, life insurance corporation or any other corporation owned or controlled by the Central Government which advances loans for the construction of a new house or for making additions or alterations to an existing house. The member shall keep the Board informed not later than 31st day of December every year about any change in the status of such a house and in case, a member parts with the possession thereof without obtaining prior permission of the Commission, he shall forthwith repay the sum so withdrawn by him in a lump sum to the fund and in default thereof the Board shall after giving the member a reasonable opportunity of making a representation in the matter, cause the said sum to be recovered from the emoluments of the member either in a lump sum or in such number of monthly instalments, as may be determined by it.

Note 3—Withdrawal under sub-clause (i) or (iv) of clause (a) of regulation 17 shall also be allowed where the house, site or flat is in the name of wife or husband provided she or he is the first nominee to receive provident fund money in the nomination made by the subscriber.

Note 4—If a member has an ancestral house or has built a house at a place other than the place of duty with the assistance of loan taken from the Government or the Delhi Urban Art Commission, he shall be eligible for the grant of final withdrawal for construction of another house or for acquiring a ready built flat at the place of his duty.

Note 5—Withdrawal shall be sanctioned only after a member has submitted a plan of the house to be constructed or of the additions or alterations to be made, duly approved by the local municipal body concerned and only in cases where the plan is actualy got to be approved.

Note 6—Withdrawal for repayment of outsanding loan shall not exceed three-fourth of the balance together with amount of previous withdrawal, reduced by the amount of previous withdrawal.

Note 7—A member shall not be granted second withdrawal for house building purpose at any place if he has already been granted a final withdrawal for similar purposes at the same or another place. In other words, final withdrawal shall not be allowed for more than one house.

Note 8—In case of withdrawal for upkeen of house, it shall be subject to the condition that the member submits a certificate to the effect that the items of work to be carried out do not require the approval of the local or municipal authority. Withdrawal shall also be admissible where the ancestral house has not been transferred in the name of the member, subject to production of proof that he is one of the inheritors or nominees to receive the share in the property.

(b) In case of withdrawal for the purposes mentioned in clause (b) of regulation 17,

(i) for registration or purchase of a motor car, the member's basic pay should be Rs. 3,500 per-mensem or above and for registration or purchase of a motor cycle, scooter or moped, the basic pay should be Rs. 1,500 per-mensem or above;

(ii) the amount of withdrawal shall be limited to Rs. 10,000/- in case of booking a motor car and Rs. 500/- in case of booking of a motor cycle or scooter, or 50% of the amount standing to the credit of the member in the fund or 50% of the amount of subscription with interest thereon standing to the credit of the member in the fund or the actual amount of registration of the car, or motor cycle or scooter, whichever is less;

(iii) the amount of withdrawal shall further be limited to Rs. 50,000/- for purchase of a motor car and Rs. 8,000/- for purchase of motor cycle or scooter;

(iv) the deposit receipt for booking as well as purchase receipt for the vehicle will be required to be produced for verification within a period of one month from the date of withdrawal and failure to do so will involve refund of the total amount of;

(v) if, the member does not purchase a car motor cycle or scooter after making deposit or opts out of the scheme, he shall immediately deposit the amount of final withdrawal together with interest received thereon from the manufacturer or dealer, into the fund;

(vi) the Board may allow in special case, an advance for making deposits or purchase of motor car or motor cycle or scooter refundable in not more

than 36 instalments in the case of members who fall short of the minimum service of 15 years by a period of not more than 6 months. Outstanding balance of the advances thus made will be permissible to be converted into final withdrawal after completion of 15 years of service;

(vii) Such withdrawals to a member shall be allowed only on one occasion.

(c) In case of withdrawal granted for the purposes specified in clause (c) of regulation 17, the members shall be permitted to make a final withdrawal both on the occassion of the betrothal ceremony and the marriage ceremony and each occasion shall be treated as a separate purpose.

(d) Withdrawal for the purposes mentioned in clause (d) of regulation 17 shall be on the following conditions, namely :—

(i) the basic pay of the member is Rs. 3,500/- or above;

(ii) the amount of withdrawal is limited to Rs. 5,000/- or one-third of the amount of subscription with interest standing to the credit of the member or the actual amount of repairing or overhauling, whichever is less;

(iii) not less than 5 years should have elapsed since the car was purchased by the member. In case of second hand car, the initial date of purchase by the first purchaser will be taken into account;

(iv) Such withdrawal shall be allowed only once in the entire service of the member.

(e) In respect of withdrawals for the purpose mentioned in clause (e) of regulation 17 the member, availing this facility shall not be eligible to invest the amount of such withdrawal in the new deposit scheme for the retiring Government employees, 1989, notified by the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs vide their Notification No. 2/14/89-NS II dated 7-6-1989.

(2) A member who has been permitted to withdraw money from the fund under regulation 17 shall satisfy the Board within a reasonable period as may be specified by the Board that the money has been utilised for the purpose for which it was withdrawn and, if he fails to do so, whole of the sum so withdrawn or so much thereof as has not been applied for the purpose for which it was withdrawn shall forthwith be repaid in lump-sum by the member to the fund and in default of such payment, it shall be ordered by the Board to be recovered from his emoluments either in lump-sum or in such number of monthly instalments as may be determined by the Board :

Provided that before repayment of a withdrawal is enforced under this regulation, the member shall be given an opportunity to explain in writing, within 15 days of receipt of the communication, as to why the repayment shall not be enforced; and if, the Board is not satisfied with the explanation or no explanation is submitted by the member within the said period of 15 days, the Board shall enforce repayment in the manner prescribed in this regulation;

(3) Withdrawal under this regulation shall not be sanctioned if an advance under regulation 15 is being sanctioned for the same purpose and at the same time.

(4) A member who has already drawn an advance may, at his discretion by a written request, convert the balance outstanding against him into a final withdrawl on satisfying the conditions prescribed in this regulaton.

7. In regulation 21 A of the principal regulations, for clauses (a), (b) and (c), following clauses shall be substituted, namely :—

"(a) the balance representing subscription with interest thereon at the credit of such member shall not at any time during the three years preceding the month of death have fallen below the limits of—

(i) Rs. 12,000/- in the case of a member who has held, for the greater part of the aforesaid period of three years, a post the maximum of the pay scale of which is Rs. 4,000/- or more;

(ii) Rs. 7,500/- in the case of a member who has held for the greater part of the aforesaid period of three years, a post the maximum of the pay scale of which is Rs. 2,900/- or more but less than Rs. 4,000/-.

(iii) Rs. 4,500/- in the case of a member who has held for the greater part of the aforesaid period of three years, a post the maximum of the pay scale of which is Rs. 1,151 or more but less than Rs. 2,900.

(iv) Rs. 3,000/- in the case of a member who has held for the greater part of the aforesaid period of three years, a post the maximum of the pay scale of which is less than Rs. 1,151

(b) the additional amount payable under this rule shall not exceed Rs. 30,000/-.

(c) the member has put in atleast five years of service at the time of his death."

M. T. MESHRAM
Secretary

Note : The Principal Regulations were published in the Gazette of India Part-III, Section-4 vide Notification No. Nil dated 1-3-1980 and subsequently amended vide :—

1. Notification No. 1(1)/76-DUAC Dated 22-4-81.

2. Notification No. 1(1)/76-DUAC Dated 15-7-86.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1997
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD,
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1997